कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर

//परिपत्र//

क्र. 02 /लेखा/25 बुरहानपुर, दिनांक 27.01.2025

प्रायः देखने में आया है कि, स्थापना पर पदस्थ तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा पारिवारिक या अन्य प्रयोजन हेतु रेल टिकट आरक्षित करवाकर पश्चात में लंबी अवधि के अर्जित अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं जिससे कर्मचारीगण के लंबी अवधि के अर्जित अवकाश पर जाने से प्रशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाही में समस्या उत्पन्न होकर कार्य प्रभावित होता है।

अतः स्थापना पर पदस्थ समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह पारिवारिक या अन्य प्रयोजन से(अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर) लंबी अवधि के अर्जित अवकाश हेतु रेल टिकट आरक्षित कराये जाने के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुझे अवगत करानें के पश्चात मेरी मौखिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही रेल टिकट आरक्षित करावें तथा निर्धारित समयावधि पूर्व अर्जित अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये अवकाश स्वीकृति उपरांत ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे। उक्त निर्देशों का भविष्य में कड़ाई से पालन किया जाये तथा निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित कर्मचारी का अवकाश आवेदन पत्र निरस्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर

पृष्ठा. क्र. 186 /लेखा/25 बुरहानपुर, दिनांक 27/01/25

प्रतिलिपिः-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण/प्रभारी अधिकारीगण, न्यायालय-बुरहानपुर/नेपानगर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को अवगत कराते हुये अवकाश आवेदन पत्र परिपत्र का पालन करते हुये आवेदन पत्र अग्रेषित करेंगे।

2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, बुरहानपुर/नेपानगर की ओर प्रेषित कर लेख है कि समस्त कर्मचारीगण के मध्य परिपत्र का परिचालन कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Asuet 27/1/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर